

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2018] No. 2018] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 1, 2018/ज्येष्ठ 11, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 1, 2018/JYAISTHA 11, 1940

## जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जून, 2018

का.आ. 2236(अ).—केन्द्रीय सरकार ने अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 (1956 का 33) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 02 जून, 1990 की अधिसूचना का.आ. संख्या 437(अ) द्वारा अंतर्राज्यीय कावेरी नदी और उसकी नदी घाटी के विषय में कर्नाटक, केरल, तिमलनाडु और संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी के बीच जल विवादों के न्याय निर्णय के लिए कावेरी जल विवाद अधिकरण का गठन किया था।

और अधिकरण ने उसे निर्दिष्ट किए गए मामलों की जांच की और अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन, तारीख 5 फरवरी, 2007 को केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट अग्रेषित की और पक्षकार राज्यों ने अधिकरण की उक्त रिपोर्ट के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमित याचिकाएं दायर कर दीं; और माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त विशेष अनुमित याचिकाओं को सिविल अपीलों में परिवर्तित कर दिया और माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों पर भारत सरकार ने तारीख 19 फरवरी, 2013 के का.आ. संख्या 404(अ) द्वारा उक्त रिपोर्ट अधिसूचित की।

और माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2007 की सिविल अपील 2453, 2007 की सिविल अपील 2454 और 2007 की सिविल अपील 2456 के विषय में तारीख 16 फरवरी, 2018 को अपना निर्णय सुनाया और अंतिम आदेश दिया तथा केन्द्रीय सरकार को माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 द्वारा यथा संशोधित अधिकरण के पंचाट को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 6क के अधीन "स्कीम" तैयार करने का निदेश दिया।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एक स्कीम है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, **कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके बाद "प्राधिकरण" कहा गया है)** और कावेरी जल विनियमन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "समिति" कहा गया है) जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा उपांतरित किया गया था, गठन है, स्कीम बनाती है, अर्थात् :—

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कावेरी जल प्रबंधन स्कीम, 2018 है।
  - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3088 GI/2018 (1)

### I. कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना

- 2. प्राधिकरण का गठन.—कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण होगा।
- **3**. (1) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा जिसका सतत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर होगी तथा वह वाद ला सकेगा तथा उस पर वाद लाया जा सकेगा।
  - (2) प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थातः-
- (क) अध्यक्ष-केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे सेवारत अधिकारियों में से नियुक्त किया जाएगा जिसका कार्यकाल पांच वर्ष अथवा पैंसठ वर्ष की आयु होने तक, जो भी पहले हो, होगाः
  - i. जो एक वरिष्ठ और विख्यात अभियंता हो और जल संसाधन प्रबंधन; अंतर्राज्यीय जल भागीदारी मुद्दों को निपटाने; सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, प्रचालन और अनुरक्षण में व्यापक अनुभव रखता हो; अथवा
  - ii. सरकार के सचिव अथवा अपर सचिव पद का अखिल भारतीय सेवा अधिकारी जो जल संसाधन तथा अंतर्राज्यीय जल भागीदारी मुद्दों में अनुभव रखता हो।
- (ख) दो पूर्ण-कालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि, जिसका पांच वर्ष तक विस्तार किया जा सकेगा, के लिए निम्नानुसार नियुक्त किए जाएंगेः-
  - एक सदस्य (जल संसाधन) केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा (सीडब्ल्यूईएस) संवर्ग में से मुख्य अभियंता से अन्यून इंजीनियर;
  - ii. एक सदस्य (कृषि) –कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आयुक्त से अन्यून;
- (ग) दो अंश-कालिक सदस्य –क्रमश: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले केन्द्रीय सरकार के संयुक्त सचिव के रैंक के दो प्रतिनिधि ;
- (घ) पक्षकार राज्यों से चार अंश-कालिक सदस्य –केरल, कर्नाटक, तिमलनाडु राज्य सरकार और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन प्रत्येक के जल संसाधन विभागों के भारसाधक प्रशासनिक सिचव, जिनको क्रमशः राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- **4. प्राधिकरण का सचिव** :प्राधिकरण का एक सचिव होगा जो एक इंजीनियर होगा जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका विस्तार पांच वर्ष तक किया जा सकेगा और जो केन्द्रीय जल अभियांत्रिकी सेवा संवर्ग के मुख्य इंजीनियर के पद से अन्युन होगा और उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा।
- **5. गणपूर्ति और मतदान :**(1) छह सदस्य गणपूर्ति होंगे और सिवाय प्राधिकरण के ऐसे कारबार, जो समय-समय पर नेमी कारबार के रूप में विहित किया जाए, प्राधिकरण के कारबार का संव्यवहार करने के लिए बहुमत की सहमति आवश्यक होगी। सदस्यों की शक्तियां समान होगी।
- (2) यदि गणपूर्ति पूरा न होने के कारण बैठक स्थगित की जाती है तो अगली बैठक तीन दिनों के भीतर की जाएगी और उस बैठक के लिए गणपूर्ति पूरा करना आवश्यक नहीं होगा।
- **6. प्राधिकरण द्वारा कार्य का निपटान :**(क) निम्नलिखित विषयों पर प्राधिकरण की बैठक में, जिसमें अध्यक्ष और पक्षकार राज्यों से सभी अंश-कालिक सदस्य उपस्थित हैं, में संकल्प द्वारा किए गए विनिश्चय को अभिलिखित किया जाएगा :
  - i. कारबार के नियमों की विरचना :
  - ii. प्राधिकरण के सदस्य अथवा सचिव अथवा किसी अधिकारी को कृत्यों का प्रत्यायोजन ;
  - ііі. प्राधिकरण के कारबार के किसी भाग को औपचारिक अथवा नेमी प्रकृति की श्रेणी में वर्गीकृत करना;
  - iv. कोई अन्य विषय, जिसे पक्षकार राज्यों के अंश-कालिक सदस्यों में से कोई सदस्य आवश्यक समझे कि इसका प्राधिकरण की बैठक में विनिश्चय किया जाएगा।
- (ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष इस स्कीम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कार्यों को करने में केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और किसी अन्य अभिकरण, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय है, के प्रतिनिधियों को प्राधिकरण की बैठकों अथवा अन्यथा में विशेष आमंत्रिती के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकता है।
- (ग) पूर्व उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए प्राधिकरण अपने कारबार को करने के लिए अपने स्वयं के नियम बनाएगा।

- 7. **सदस्यों की क्षतिपूर्ति**.—प्राधिकरण का कोई सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी निम्नलिखित से हुई हानि और क्षति अथवा नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- (क) किसी सदस्य, अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा सदभावपूर्वक और स्पष्ट प्राधिकार के अंतर्गत किसी दुर्भावना के बिना किए गए कार्य, तथापि बाद में ऐसे कार्यों को अप्राधिकृत अवधारित किया गया हो, अथवा
- (**ख**) प्राधिकरण द्वारा नियोजित किसी अन्य व्यक्ति का असावधानी पूर्वक या संदोष कार्य और ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के अधीन सेवा,जब तक कि ऐसे सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी ऐसे अन्य व्यक्ति की नियुक्ति करने में सम्यक सावधानी रखने में या उसके कार्य का पर्यवेक्षण करने में असफल न रहा हो ।
- 8. प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी.—(1) प्राधिकरण समय-समय पर ऐसे और इतने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त अथवा तैनात कर सकेगा जो वह ठीक समझे और केंद्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति, उनको पद से हटाने और पदच्युत करने के लिए लागू नियमों और विनियमों के अधीन उनको हटा सकेगा या पदच्युत कर सकेगा। ऐसे सभी अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण के एक मात्र नियंत्रण के अधीन होंगे। प्राधिकरण, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ आवासीय निवास, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के संबंध में ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों का विनियमन करने के लिए विनियम बना सकेगा। वेतनमान तथा अन्य सेवा शर्तें केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू के अनुसार होंगी।
- (2) उक्त राज्यों और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की सेवा में तैनात व्यक्तियों को प्राधिकरण द्वारा उस अनुपात में नियुक्त किया अथवा तैनात किया जा सकेगा, जैसा कि प्राधिकरण उपयुक्त समझे। प्राधिकरण, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र, के साथ प्राधिकरण के साथ पूर्ण-कालिक तैनाती अथवा प्राधिकरण के लिए किसी कार्य अथवा सेवाओं के निष्पादन हेतु राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र में तैनात व्यक्तियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगा। प्राधिकरण, जैसा आवश्यक समझे, सीधी भर्ती द्वारा किसी कार्मिक की नियुक्ति कर सकेगा अथवा केंद्रीय अथवा अन्य स्रोतों से इसे प्राप्त करेगा।
- 9. प्रशासनिक और क्षेत्र संगठन लागत.—(1) प्राधिकरण के सभी व्यय (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों और सचिव का वेतन और अन्य व्यय) पक्षकार राज्य सरकारों और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस अनुपात में वहन किए जाएंगे, केरल-15%, कर्नाटक-40%, तिमलनाडु-40% और पुदुच्चेरी-5%। किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के संबंधित व्यय का वहन संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाएगा।
- (2) माप और संचार आंकड़ों के लिए अन्य जल विज्ञानीय प्रणालियों के रख-रखाव, परिचालन और नियंत्रण की लागत संबंधित राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन की जाएगी।
- (3) भण्डारण के निर्माण और रख-रखाव, ऊर्जा संस्थापनों, डाइवर्जन निर्माण कार्य, हैडवर्क और नहर तंत्र के निर्माण और रख-रखाव की लागत पूर्ण रुप से उस राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन की जाएगी जिसके क्षेत्र में निर्माण कार्य स्थित है।
- **10. प्राधिकरण की शक्तियां, कार्य और कर्तव्य**: (1) प्राधिकरण, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा यथा संशोधित अधिकरण के पंचाट का अनुपालन और कार्यान्वयन करने के लिए आवश्यक, पर्याप्त और वांछनीय कोई अथवा सभी कार्य को करने के लिए अधिकार का प्रयोग करेगा और कर्तव्य का निर्वाह करेगा जिनमें निम्नलिखित भी हैं:
  - i) कावेरी जल का भंडारण, प्रभाजन, विनियमन और नियंत्रण;
  - ii) जलाशयों के प्रचालन का पर्यवेक्षण और विनियमन समिति की सहायता से उनसे छोड़े गए जल का विनियमन ;
  - iii) बिलीगुंडलू गेज के रूप में वर्तमान में अभिज्ञात अंतर-राज्यीय संपर्क बिन्दु पर कर्नाटक द्वारा जारी जल का विनियमन और कर्नाटक तथा तमिलनाडु की साझा सीमा पर स्थित निस्सरण केन्द्र।
- (2) प्राधिकरण एक अथवा एक से अधिक उप-समितियों का गठन कर सकेगा तथा उन्हें अपने ऐसे कार्यों तथा अपनी ऐसी शक्तियों को सौंप सकेगा, जो वह उचित समझे।
- (3) विशिष्टत: और चालू कृत्यों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्यों का निष्पादन करेगा अर्थातः-
- i) प्राधिकरण जल वर्ष की शुरूआत अर्थात् प्रत्येक वर्ष के पहले जून को विनिर्दिष्ट जलाशयों में कुल शेष भंडारण का निर्धारण करेगा। चूंकि मौसम-वार नदी बहाव की मात्रा को जानना संभव नहीं है, जो कि एक मौसम के दौरान उपलब्ध होगा, यह अनुमान लगाया जाएगा कि बहाव 50% निर्भर योग्य वर्ष (740 टीएमसी जल उपलब्धता) के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के भाग का अवधारण इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा जैसा कि जलाशय में पहले की भंडारण उपलब्धता के साथ अनुमान लगाया जाता है। प्रत्येक पक्षकार राज्य के लिए निर्धारित हिस्सों के आधार पर मौसम के पहले दस दिनों के समय अंतराल के

दौरान जल निष्कासन की अनुमति होगी, जो कि कावेरी जल विनियमन सिमति के समक्ष जल मांग सूची रखते हुए प्रत्येक संबंधित राज्य द्वारा सूचित उसी अवधि के दौरान जल आवश्यकता तक सीमित होगी।

- ii) प्राधिकरण पूर्ववर्ती समय अंतराल के अंत में बेसिन में वास्तिविक जल उपलब्धता के भंडार के साथ-साथ अंतराल के दौरान उपयोग अथवा जल छोड़ने और तैयार भंडारण का अभिलेख रखेगा और बहाव की धारा का आकलन करेगा तथा तद्नुसार आगे के समय अंतराल के लिए राज्यों के लिए जल निष्कासन को प्राधिकृत करेगा। ऊपर वर्णित उपबंध को लागू करने के लिए प्राधिकरण को दो अथवा और अधिक समय अंतरालों के लिए इस व्यवस्था को दोहराना होगा।
- iii) प्राधिकरण बेहतर वर्ष के दौरान आगे ले जाए गए भंडारण और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए जल छोड़ने सिहत तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा संशोधित प्राधिकरण के निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा। प्राधिकरण, विनियमन सिमित के माध्यम से और केन्द्रीय जल आयोग तथा अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य संगठनों से यथा आवश्यक सहायता सिहत नदी बेसिन में जल पर दबाव की स्थिति की पहचान करेगा। पक्षकार राज्यों द्वारा जल की कमी की स्थिति के पश्चात् उस अविध के दौरान जल बहाव की कमी से हुए दबाव की साझेदारी की जाएगी और पक्षकारों को आवंटित जल की हिस्सेदारी को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण द्वारा इसके विस्तार का निर्धारण किया जाता है।
- iv) सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोगों आदि के लिए संबंधित राज्यों की मौसमी जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वर्ष में प्रत्येक दस दिनों की अविध हेतु प्राधिकरण के सकल दिशा-निर्देशों के अधीन संबंधित राज्य द्वारा एकीकृत रूप में नदी बेसिन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जलाशयों अर्थात् केरल में बाणासूर सागर, कर्नाटक हेमावती, हारंगी, किबनी और कृष्णराजा सागर तथा तिमलनाडु में निचली भवानी, अमरावती और मैत्तूर का प्रचालन किया जाएगा। जहां तक संभव हो अतिरिक्त जल की शेष मात्रा को संरक्षित किया जाएगा तथा जल के बह जाने (स्पिलेज) को न्यूनतम तक घटाया जाएगा।
- v) प्राधिकरण प्रत्येक पक्षकार राज्य के लिए फसल पैर्टन, रोपित क्षेत्र और सिंचित क्षेत्र की लेखा का अनुरक्षण करेगा। प्राधिकरण प्रत्येक पक्षकार राज्य द्वारा घेरलू और औद्योगिक जल उपयोग की लेखा का भी अनुरक्षण करेगा।
- vi) प्राधिकरण आंकड़ा पारेषण के लिए कावेरी बेसिन में एक भली प्रकार डिजाइन किया गया संचार नेटवर्क और जल पर दबाव, यदि कोई हो, सहित जलीय परिस्थितियों का अवधारण करने के लिए एक कम्प्यूटर आधारित नियंत्रण कक्ष की स्थापना करेगा। इस प्रयोजन के लिए वह नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकेगा। प्रचालन प्रयोजनों के लिए इस कार्य को प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय जल आयोग या केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी अन्य संगठन को सौंपा जा सकेगा।
- vii) सिंचाई मौसम के शुरूआत जो प्रत्येक वर्ष की पहली जून है, से प्राधिकरण में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सभी पक्षकार राज्य दस-दस दिन के अंतराल में जून के महीने के लिए प्रत्येक जलाशय स्थल (3 टीएमसी और इससे अधिक की क्षमता) पर उनके द्वारा अपेक्षित आपूर्ति हेतु मांग पत्र करेंगे। प्राधिकरण फसल पैटर्न और सिंचित किए जाने वाले क्षेत्र की मात्रा तथा पहले की भंडारण की उपलब्धता के निर्धारण के पश्चात् और महीने के दौरान संभावित बहाव पर विचार करते हुए महीने के लिए अधिकरण द्वारा निर्धारित सकल ऊपरी सीमा को ध्यान में रखते हुए दिए गए आदेश और माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा संशोधन को ध्यान में रखते हुए मांग पत्रों के औचित्य की जांच करेगा। विनियमन समिति, प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार दस दिन के आधार पर जल छोड़ेगी।
- viii) विनियमन समिति द्वारा यथा सूचित किसी महीने के दौरान जल उपलब्धता में कमी के कारण प्राधिकरण विनिर्दिष्ट फसलों के लिए तारीख 16 फरवरी, 2018 के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपांतरित आदेश के अनुसार अधिकरण द्वारा प्रत्येक राज्य को आवंटित मात्रा के अनुपात में पक्षकारों की मांग पत्र में कटौती पर विचार करेगा।
- ix) विनियमन समिति प्रत्येक दस दिन के अंतराल के दौरान मानसून की वास्तविक स्थिति पर ध्यान रखेगी और इसमें सामान्य से भिन्नता की स्थिति को दर्शाते हुए प्राधिकरण को स्थिति सूचित करेगी। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण उनके द्वारा जारी निर्मुक्ति आदेश में किसी परिवर्तन पर विचार करेगा। जल वर्ष के अंत जो प्रत्येक वर्ष का 31 मई है, के बाद के महीनों के दौरान मानसून की प्रगति के दौरान इस तरह की व्यवस्था जारी रहेगी।
- x) प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त विनियमन तंत्र के उपबंध सहित नदी बेसिन में सभी महत्वपूर्ण एनीकट स्थलों पर उचित हाइड्रोलिक संरचनाओं का निर्माण करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य के हिस्सों में ऐसी डायवर्जन संरचनाओं में जल निष्कासन की नियमित निगरानी आवश्यक होगी।
- xi) प्राधिकरण अंतर्वाह और बहिर्वाह, वर्षापात आंकड़ा, सिंचित क्षेत्र और उपयोग किए गए जल सहित जलाशयों में आगे ले जाए गए भंडारण के संबंध में आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए पक्षकार राज्यों को निर्देश दे सकता है।
- xii) प्राधिकरण कावेरी बेसिन में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग अथवा केन्द्रीय जल आयोग अथवा राज्यों द्वारा अनुरक्षित महत्वपूर्ण रेनगेज केन्द्रों के लिए आंकड़ों के संग्रह को व्यवस्थित करेगा और साथ ही साथ कावेरी विनियमन समिति, जो कि विभिन्न स्थलों पर मापे गए अंतर्वाह सहित विभिन्न मानसुन मौसमों के लिए वर्षापात आंकड़ों का उचित रूप से

संकलन करेगी, के माध्यम से कावेरी नदी प्रणाली के संबंध में महत्वपूर्ण नोडल बिन्दुओं पर मापे गए अंतर्वाह आंकड़ों को भी व्यवस्थित करेगा।

- xiii) प्राधिकरण या उसके कोई सदस्य या कोई प्रतिनिधि को किसी भूमि या सम्पदा जिस पर कावेरी बेसिन में किसी भी एजेंसी द्वारा कोई भी जलीय संरचना या कोई गांजिंग या मापन डिवाइस तैयार की गई है या निर्मित, संचालित या अनुरक्षित की जा रही है, पर प्रवेश करने की शक्ति होगी।
- xiv) प्राधिकरण के पास सम्पदा को रखने और उसके निपटान, संविदा करने, मुकदमा चलाने का अधिकार होगा और उस पर मुकदमा चलाया जा सकेगा और ऐसे सभी कार्य करेगा जो उसके क्षेत्राधिकार, शक्ति और कार्यों के उपयुक्त निर्वाह के लिए आवश्यक होंगे।
- xv) प्राधिकरण अधिकरण के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त मापक केंद्रों का निर्माण कर सकता है अथवा केंद्रीय सरकार और केन्द्रीय जल आयोग के सहयोग से संबंधित राज्यों को निर्माण करने का निर्देश दे सकता है।
- xvi) यदि प्राधिकरण यह पाता है कि पक्षकार राज्यों अर्थात तिमलनाडु, केरल, कर्नाटक और पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र की कोई सरकार अधिकरण में निर्णय अथवा दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन में सहयोग नहीं देती है तो वह माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा यथा संशोधित अधिकरण के पंचाट के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय सरकार का सहयोग ले सकती है।
- xvii) यदि किसी पक्षकार राज्य की चूक की वजह से जल को छोड़ने में कोई विलम्ब अथवा कमी होती है तो प्राधिकरण उस पक्षकार राज्य की मांग को कम करके तदनुसार उस कमी को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही करेगा।
- xviii) प्राधिकरण सूक्ष्म सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिकलर) को बढ़ावा देकर, फसल पद्धित में, कृषि संबंधी प्रणालियों, प्रणालीगत किमयों में सुधार, कमान क्षेत्र विकास इत्यादि द्वारा जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय करने हेतु पक्षकार राज्यों को सलाह देगा।
- xix) प्राधिकरण पक्षकार राज्यों को जल संरक्षण और परिरक्षण के लिए दक्ष प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु सलाह देगा।
- xx) प्राधिकरण उसकी संरचना, स्थापना और प्रशासन के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- xxi) प्राधिकरण अपनी उन शक्तियों को प्रत्यायोजित कर सकता है जिसे वह कावेरी जल विनियमन समिति के लिए उपयक्त समझेगा।
- 11. प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट.—प्राधिकरण प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर से पहले, जितना जल्दी संभव हो, चारो पक्षकार राज्यों के लिए प्राधिकरण के पूर्ववर्ती वर्ष के कार्याकलापों को शामिल करते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे उन्हें भेजेगा। प्राधिकरण प्रत्येक पक्षकार राज्य को उसके अनुरोध पर किसी भी समय अपने पास उपलब्ध कोई भी सूचना उपलब्ध करवाएगा और पक्षकार राज्यों तथा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों की अपने अभिलेखों तक हमेशा पहुंच बनाए रखेगा।
- 12. प्राधिकरण के अभिलेख और उनका स्थान.—(1) प्राधिकरण सभी बैठकों और उनकी कार्रवाही का पूरा अभिलेख रखेगा, नियमित लेखों का रख-रखाव रखेगा और एक उपयुक्त कार्यालय होगा जहां दस्तावेज, अभिलेख, लेखें और मापन आंकड़े होंगे जो उस समय और ऐसे विनियमों के अधीन जिन्हें प्राधिकरण अवधारित करेगा, केंद्रीय सरकार और प्रत्येक पक्षकार राज्यो, संघ राज्य क्षेत्र की सरकार या उनके प्रतिनिधियों द्वारा निरीक्षण के लिए मुक्त रुप से रखे जाएंगे।
- (2) प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।
- **13. संविदा और करार**.—प्राधिकरण ऐसे संविदा और करार करेगा जो उसे सौंपे गए या उस पर अधिरोपित कृत्य और कर्त्तव्यों का पूर्ण और उचित रुप से पालन करने के लिए आवश्यक और अनिवार्य हो।
- **14. वित्तीय उपबंध.**—(i) भारत सरकार प्रारंभ में प्राधिकरण के कार्य के लिए दो करोड़ रुपए की राशि का अंशदान करेगी।
- (ii) प्राधिकरण द्वारा वहन किए जाने वाले अपेक्षित सभी पूंजीगत और राजस्व व्यय केरल, कर्नाटक, तिमलनाडु की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी द्वारा क्रमशः 15:40::40:5 के अनुपात में वहन किए जाएगें।
- (iii) प्राधिकरण के गठन पर, केरल, कर्नाटक, तिमलनाडु राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी शुरुआत में प्राधिकरण की निधि के लिए उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित दो करोड़ रूपए का सहयोग देगा, और बाद में प्राधिकरण के वार्षिक बजट को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण की मांग के अनुसार तिमाही आधार पर अग्रिम भृगतान किया जाएगा।
- (iv) प्राधिकरण सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का विस्तृत तथा सही लेखा-जोखा रखेगा तथा प्रत्येक वित्त वर्ष की समाप्ति के बाद लेखों का एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा तथा महालेखाकार और संबंधित बेसिन राज्यों को उसकी प्रतियां भेजेगा।

- (v) प्राधिकरण द्वारा रखे गए लेखों की भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक या उनके नामांकित व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी, जो अपने प्रेक्षणों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण के वार्षिक लेखों को प्रमाणित करेगा। प्राधिकरण, भारत के नियंत्रण और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट की प्रतियां महालेखाकार, केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित बेसिन राज्यों को भेजेगा और इसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करेगा।
- (vi) उपर्युक्त उप पैरौं (i) से (v) में विनिर्दिष्ट सभी अथवा किसी एक कार्य के लिए पूरक, आनुषंगिक अथवा परिणामी किसी अन्य कार्य का पालन करना ।
- **15. प्राधिकरण का विनिश्चय**.—उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा यथा संशोधित अधिकरण के पंचाट के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु पैरा 10 के अधीन अंतर्विष्ट किए गए मामलों, लेकिन उन तक ही सीमित नहीं, समेत सभी मामलों के संबंध में प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा तथा सभी संबंधित राज्यों पर बाध्यकारी होगा।
- **16. प्राधिकरण की अधिकारिता के बाहर निर्माण**.—अधिकरण के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा उपांतरित पंचाट में यथा उपबंधित के अलावा परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण और अनुरक्षण प्रत्येक राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा उनके अभिकरणों के माध्यम से किया जाएगा।

#### II. कावेरी जल विनियमन समिति

**17. कावेरी जल विनियमन समिति की संरचना.**—(1) एक कावेरी जल विनियमन समिति होगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात :—

1.	प्राधिकरण का पूर्ण-कालिक सदस्य (जल संसाधन)	— अध्यक्ष;
2.	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु राज्यों से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि तथा पुदुच्चेरी संघ राज्य क्षेत्र से एक प्रतिनिधि जिसकी श्रेणी मुख्य अभियंता से कम न हो।	— सदस्य;
3.	संयुक्त सचिव श्रेणी का भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से एक प्रतिनिधि	—सदस्य;
4.	केन्द्रीय जल आयोग से एक प्रतिनिधि जोकि नदी गॉजिंग से संबंधित हो, जिसकी श्रेणी मुख्य अभियंता से कम न हो।	—सदस्य;
5.	केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जिसकी श्रेणी आयुक्त से कम न हो।	—सदस्य;
6.	प्राधिकरण के सचिव	— सदस्य-सचिव।

- (2) कावेरी जल विनियमन समिति का मुख्यालय बंगलुरू में होगा।
- **18. कावेरी जल विनियमन समिति के कार्य**.—समिति, माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 16 फरवरी, 2018 के आदेश द्वारा प्राधिकरण के यथा उपांतरित अंतिम पंचाट में अंतर्विष्ट उपबंधों का, प्राधिकरण को निर्देश देते हुए, कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी, अर्थात्:—
- (क) दैनिक जल स्तरों, इनफ्लो तथा निम्नलिखित जलाशयों में प्रत्येक में भंडारण की स्थिति का एकत्रीकरण करना हेमावती, हरंगी, कृष्णाराजासागर, कबीनी, मेटूर, भवानीसागर, अमरावती तथा बानासूरसागर;
- (ख) जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्देश दिए गए हैं जलाशयों से मासिक आधार पर जल की दस दैनिक मात्राओं को जारी करना सुनिश्चित करना;
- (ग) उपर्युक्त जलाशयों से बारह घंटे के आधार पर छोड़े गए जल के आंकड़ों को एकत्रित करना;
- (घ) प्रत्येक जलाशयों में प्राधिकरण के प्रतिनिधि समिति द्वारा जारी किए गए विनियामक निर्देशों के उपयुक्त कार्यान्वयन को मॉनीटर करेंगे; और यदि कोई परिवर्तन होता है तो प्रतिनिधि उपयुक्त कार्रवाई हेतु तत्काल रूप से समिति के सदस्य-सचिव को सूचित करेंगे;
- (ङ.) वर्तमान में पहचान किए गए अंतर्राज्यीय संपर्क बिंदु अर्थात्, बिलीगुन्डुलु गॉज और डिस्चार्ज स्थल के बीच से होकर गुजरने वाले दैनिक जल के प्रवाह का एकत्रीकरण करना तथा प्राधिकरण को उपयुक्त रूप से सूचित रखना;
- (च) प्रत्येक जलाशय के लिए मासिक जल लेखे का एकत्रीकरण करना तथा उसमें सामंजस्य बिठाना;

- (छ) मानसून की स्थिति को वृहद रूप से आकलित करने के लिए तथा मानसून की प्रास्थिति से प्राधिकरण को सूचित कराने हेतु भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महत्वपूर्ण वर्षा गाँज स्टेशनों से संबंधित सूचना का एकत्रीकरण तथा साप्ताहिक आधार पर उसे संकलित करना
- (ज) राज्य प्रतिनिधि, मुख्य परियोजनाओं के अध्यक्ष, कमानों में होने वाली वर्षा से समिति को नियमित रूप से सूचित करेंगे तथा यह भी पता करेंगे कि छोड़े गए जल की मात्रा में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है;
- i) जल लेखे की मौसमी तथा वार्षिक रिपोर्ट को तैयार करना तथा उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करना, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-
- (क) दक्षिण-पश्चिम मानसून काल (अक्टूबर के 15 दिनों को शामिल करते हुए) 01 जून से 15 अक्टूबर;
- (ख) उत्तर पूर्वी मानसून काल 16 अक्टूबर से 31 जनवरी;
- (ग) गर्म मौसम काल 01 फरवरी से 31 मई।
- **19. समिति की बैठकें**.— (1) समिति जून और अक्टूबर माह के दौरान दस दिनों में एक बार बैठक करेगी जब दक्षिणी-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी मानसून आरंभ होता है और मानसून के आरंभ होने के पश्चात बैठक पन्द्रह दिनों में कम से कम एक बार होगी, परन्तु समिति के पास जब भी आवश्यक हो, बैठकों को आयोजित करने की शक्तियां होंगी। आपातकालीन स्थिति में किसी बैठक को आयोजित करने के लिए कम से कम अड़तालीस घंटों का नोटिस दिया जाएगा।
- (2) यदि वह राज्य जिसके प्रभावित होने की संभावना है, ने बैठक में भाग नहीं लिया है, ऐसी स्थिति में अन्य बैठक को आयोजित करने की संभावना पर विचार समिति द्वारा किया जाएगा :

परंतु कि जब ऐसी स्थिति बने कि तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता हो तो समिति बहुमत द्वारा निर्णय ले सकती है, चाहे प्रभावित राज्य के प्रतिनिधि उपस्थित न हो।

- (3) समिति की बैठक की गणपूर्ति कम से कम छह सदस्य होगी।
- (4) अध्यक्ष और सदस्य-सचिव सहित सभी सदस्यों के पास मतदान का अधिकार होगा और अध्यक्ष के पास निर्णायक मताधिकार भी होगा।

[फा. सं. आर-19011/01/2018/पेन.रिवर] संजय कुंडू, संयुक्त सचिव (आरडी एवं पीपी)

# MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2018

**S.O. 2236(E).**—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 4 of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956 (33 of 1956) (hereinafter referred to as 'the Act') had constituted the Cauvery Water Disputes Tribunal (hereinafter referred to as 'the Tribunal') vide notification number S.O. 437(E), dated the 2<sup>nd</sup> June, 1990 to adjudicate upon the water dispute regarding the Inter-State river Cauvery and the river valley thereof among the States of Karnataka, Kerala, Tamil Nadu and Union territory of Puducherry;

And whereas the Tribunal investigated the matters referred to it and forwarded to the Central Government a report under sub-section (2) of section 5 of the Act on the 5<sup>th</sup> February, 2007 and the party States filed special leave petitions in the Hon'ble Supreme Court against the said report; And whereas the Hon'ble Supreme Court converted the said special leave petitions into Civil Appeals and on the directions of the Hon'ble Supreme Court, the Government of India notified the said report *vide* S.O. 404(E), dated the 19<sup>th</sup> February, 2013;

And whereas the Hon'ble Supreme Court pronounced its judgment and final order in Civil Appeals 2453 of 2007, 2454 of 2007 and 2456 of 2007 on the 16<sup>th</sup> February, 2018 and directed the Central Government to frame a scheme under section 6A of the Act to implement the Tribunal Award as modified by the Hon'ble Supreme Court *vide* Order dated the 16<sup>th</sup> February, 2018;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 6A of the said Act, the Central Government hereby frames the scheme, inter alia, constituting **the Cauvery Water Management Authority** (**hereinafter referred to as the "Authority"**) and the Cauvery Water Regulation Committee (hereinafter referred to as 'the Committee') to give effect to the decision of the Cauvery Water Disputes Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide its Order, dated the 16<sup>th</sup> February, 2018, namely:-

- **1. Short title and commencement.—**(1) This Scheme may be called the Cauvery Water Management Scheme, 2018.
  - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

#### I. Establishment of Cauvery Water Management Authority

- **2. Constitution of the Authority.**—There shall be an Authority called as Cauvery Water Management Authority.
- **3.** (1) The Authority shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued.
  - (2) The Authority shall consist of the following members, namely: -
  - (a) **Chairman -** To be appointed by the Central Government, who shall have tenure of five years or till sixty-five years of age, whichever is earlier, amongst the serving officers, namely: -
    - (i) who is a senior and eminent engineer with wide experience in water resource management; handling of inter-State water sharing issues; construction, operation and maintenance of irrigation projects; or
    - (ii) an All India Service Officer, in the rank of Secretary or Additional Secretary to the Government of India with experience in water resources and inter-State water sharing issues;
  - (b) **Two whole-time Members -** To be appointed by the Central Government for a term of three years which may be extendable upto five years, as mentioned below:
    - (i) One Member (Water Resources) an engineer not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering Services (CWES) cadre;
    - (ii) One Member (Agriculture) not below the rank of a Commissioner from the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare;
  - (c) **Two Part-Time Members** Representatives of the Central Government of the rank of Joint Secretary to be nominated by the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation and Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare respectively;
  - (d) **Four Part-Time Members from party States** Administrative Secretaries in charge of Water Resource Departments of each State Government of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Union territory of Puducherry who shall be nominated by the State Governments and Union territory administration respectively.
- **4. Secretary of the Authority.**—The Authority shall have a Secretary who shall be an engineer to be appointed by the Central Government for a term of three years which may be extendable upto five years and not below the rank of Chief Engineer from the Central Water Engineering Services cadre and he shall not have any voting rights.
- **5. Quorum and voting.**—(1) Six Members shall form a quorum and the concurrence of the majority shall be necessary for transaction of the business of the Authority except such business as the Authority may from time to time prescribe as routine. The Members shall have equal powers.
- (2) The next meeting will be held within three days if the meeting is postponed for want of quorum and for that meeting quorum will not be necessary.

- **6. Disposal of Business by the Authority.—**(a) On the following matters, the Authority shall record its decision by a resolution at a meeting in which the Chairman and all the part-time Members from the party States are present:—
  - (i) framing of Rules of Business;
  - (ii) delegation of functions to a Member or Secretary or any official of the Authority;
  - (iii) categorizing any part of the business of the Authority as of a formal or routine nature;
  - (iv) any other matter which may be considered necessary by any of the part-time Members from party States that it shall be decided at a meeting of the Authority.
- (b) Chairman of the Authority can invite representatives from Central Water Commission, National Institute of Hydrology, Indian Agricultural Research Institute (IARI) and any other agency including Universities as special invitees to attend the Authority meetings or otherwise, in carrying out the functions specified under this scheme.
- (c) Subject to the foregoing provisions, the Authority shall frame its own rules for the conduct of its business.
- **7. Indemnity of Members.**—No Member, officer or employee of the Authority shall be liable for loss, injury or damages resulting from:
  - (a) action taken by such Member, officer or employee in good faith and without malice under the apparent authority of the orders, even though such action is later determined to be unauthorised, or
  - (b) the negligent or wrongful act of omission of any other person employed by the Authority and serving under such Member, officer or employee unless such Member, officer, or employee failed to exercise due care in the appointment of such other person or the supervision of his work.
- 8. Officers and servants of the Authority.—(1) The Authority may from time to time appoint or employ such and so many officers and employees as it thinks fit and remove or dismiss them, under the rules and regulations applicable to the appointment, removal and dismissal of the Central Government officers and employees. All such officers and employees shall be subject to the sole control of the Authority. The Authority may, with the previous approval of the Central Government, make regulations to regulate conditions of service of all such officers and employees in respect of the residential accommodation, house rent allowance, travelling allowance, daily allowance, conveyance allowance and medical reimbursement. The scales of pay and the other service conditions shall be as applicable to the Central Government employees.
- (2) The persons who are employed in the services of the said States and the Union territory of Puducherry may be appointed or employed by the Authority in such proportions as the Authority may deem fit. The Authority shall make arrangement with the State Government or the Union territory, as the case may be, to spare the services of the persons employed in the State Government or the Union territory for whole-time employment with the Authority, or for the performance of any work or services for the Authority. The Authority may also appoint any personnel by direct recruitment or obtain the same from the Centre or other sources, as considered necessary.
- **9. Administrative and field organisation costs.** (1) All expenses of the Authority (including salary and other expenses of the Chairman, whole-time Members and Secretary) shall be borne by the concerned State Governments and the Union territory of Puducherry in the ratio of Kerala–15%; Karnataka–40%, Tamil Nadu–40%; and Union territory of Puducherry–5%. The expenses pertaining to Member representing a State or Union territory shall be borne by the State or Union territory concerned.
  - (2) The cost of maintaining, operation and controlling of gauging and other hydrological systems for communicating data shall be borne by the State or Union territory concerned.
  - (3) The cost of construction and maintenance of the storages, power installations, diversion works, head-works and canal networks shall be borne wholly by the State Government or Union territory in whose territory the works are located.

- **10. Powers, functions and duties of the Authority.—**(1) The Authority shall exercise such power and shall discharge such duty to do any or all things necessary, sufficient and expedient for securing compliance and implementation of the Award of the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated the 16<sup>th</sup> February, 2018 including:
  - (i) storage, apportionment, regulation and control of Cauvery waters;
  - (ii) supervision of operation of reservoirs and with regulation of water releases therefrom with the assistance of Regulation Committee;
  - (iii) regulated release by Karnataka, at the inter-State contact point presently identified as Billigundulu gauge and discharge station, located on the common border of Karnataka and Tamil Nadu.
  - (2) The Authority may constitute one or more sub-committees and assign to them such of its functions and delegate such of its powers as it thinks fit.
  - (3) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing functions, the Authority shall perform inter alia, the following functions, namely: -
  - (i) The Authority at the beginning of the water year, i.e. first June each year would determine the total residual storage in the specified reservoirs. As, it is not possible to know the amount of season-wise river flows which will be available during a season, it will be assumed that the inflows will be according to 50% dependable year (yield 740 TMC). The share of each State will be determined on the basis of the flows so assumed together with the available carry-over storage in the reservoirs. The withdrawals will be allowed during the first time interval of ten days of the season on the basis of the share worked out for each party State, limited to the water requirements during the same period indicated by each party State by placing an indent of water demand with Cauvery Water Regulation Committee.
  - (ii) The Authority will take stock of the actual yield in the basin at the end of the previous time interval as well as the utilization or releases and storage built up during the interval and assess the trend of inflows and authorize withdrawals to the States for the subsequent time interval accordingly. For giving effect to the aforesaid provision, the Authority may have to repeat this exercise for two or more time intervals.
  - (iii) The Authority shall ensure the implementation of the Award of the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 16<sup>th</sup> February, 2018 including the carry-over storage during good year and the water releases for environmental purposes. The Authority, through the Regulation Committee and with the help of Central Water Commission, and other Central or State organizations as necessary will identify situations of distress in the river basin. Distress caused by diminution of water flows during the period will be shared by the party States after the distress conditions and their extent is determined by the Authority, keeping in view water shares allotted to parties.
  - (iv) The following important reservoirs in the river basin, namely, Banasurasagar in Kerala; Hemavathy, Harangi, Kabini and Krishnarajasagara in Karnataka; and Lower Bhavani, Amaravathy and Mettur in Tamil Nadu shall be operated in an integrated manner by the concerned State under the overall guidance of the Authority for each ten days period throughout the year to meet the seasonal water requirements of the party States for irrigation, hydro-power generation, domestic and industrial uses, etc. The remaining quantities of the surplus water shall be conserved as far as possible and spillage of water shall be reduced to the minimum.
  - (v) The Authority shall maintain an account of cropping pattern, area cropped and area irrigated for each party State. The Authority shall also maintain an account of domestic and industrial water usage by each party State.
  - (vi) The Authority shall set up a well-designed communication network in the Cauvery basin for transmission of data and a computer based control room for data processing to determine the hydrological conditions including distress, if any. For this purpose, it may utilize the latest

- technology. For operational purposes, this work may be entrusted by the Authority to Central Water Commission or any other Central or State Government organization.
- (vii) On the beginning of irrigation season which is 1st June of every year, all the party States through their representatives in the Authority shall submit an indent for the supplies required by them at each reservoir site (capacity 3 TMC and above) for the month of June broken in ten daily intervals. The Authority will examine reasonableness of the indents keeping in view the cropping pattern and extent of area to be irrigated and order releases keeping in view the overall ceiling prescribed by the Tribunal and modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 16<sup>th</sup> February, 2018 for the month after determining the available carry-over storage and taking into consideration the likely inflows during the month. The Regulation Committee shall release water on ten daily bases as ordered by the Authority.
- (viii) In case of deficiency in the water availability during any month as reported by the Regulation Committee, the Authority will consider reduction in the indent of the parties in proportion to the quantities allocated to each State by the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated 16<sup>th</sup> February, 2018 for the designated crops.
- (ix) The Regulation Committee shall keep a watch on the actual performance of the monsoon during each ten daily interval and report position to the Authority indicating therein the extent of variation from the normal. The Authority on receipt of such information will consider any change in the release ordered by them earlier. Similar exercise will continue as the monsoon progresses during the succeeding months till the end of the water year which is 31<sup>st</sup> May of every year.
- (x) The Authority shall ensure that the respective State Governments should construct proper hydraulic structures at all important anicut sites in the river basin with a provision of appropriate regulation mechanism. Besides, regular monitoring of the withdrawals at such diversion structures on the part of the State would be necessary.
- (xi) The Authority may direct party States to furnish data in respect of carry-over storage in reservoirs, including inflows and outflows, rainfall data, the area irrigated and water utilized.
- (xii) The Authority shall arrange collection of data for important rain gauge stations maintained by Indian Metrological Department or Central Water Commission or States in the Cauvery basin, as also inflow data measured at important nodal points on the Cauvery river system through the Cauvery Regulation Committee which will suitably compile the rainfall data for different monsoon seasons along with the inflows measured at different sites.
- (xiii) The Authority or any Member or any representative thereof shall have power to enter upon any land or property upon which any hydraulic structure or any work of gauging or measuring device has been or is being constructed, operated or maintained by any agency in the Cauvery basin.
- (xiv) The Authority shall have power to hold and dispose of property, enter into contracts, sue and be sued and do all such acts as may be necessary for the proper exercise and discharge of its jurisdiction, powers and functions.
- (xv) The Authority may construct or make direction to construct additional gauging stations to the States concerned with the assistance of Central Government and Central Water Commission for implementing the decision of the Tribunal.
- (xvi) If the Authority finds that any Government of the party States, namely Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Union territory of Puducherry do not co-operate in implementing the decision or direction of the Tribunal, it can seek the help of the Central Government for implementation of the Award of the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order of 16<sup>th</sup> February, 2018.
- (xvii) If any delay or shortfall is caused in release of water on account of default of any party State, the Authority shall take appropriate action to make good the deficiency by subsequently deducting indented releases of that party State.

- (xviii) The Authority shall advise the party States to take suitable measures to improve water use efficiency, by way of promoting micro-irrigation (drip and sprinkler), change in cropping pattern, improved agronomic practices, system deficiency correction, command area development, etc.
- (xix) The Authority shall advise the party States to adopt efficient technologies for water conservation and preservation.
- (xx) The Authority shall comply with the directions of the Central Government issued from time to time with respect to composition, establishment and administration of the Authority.
- (xxi) The Authority may delegate such of its power, as it thinks fit, to Cauvery Water Regulation Committee.
- 11. Annual Report of the Authority.—The Authority shall prepare and transmit to each of the four party States as early as possible but not later than 30<sup>th</sup> September of each year, an Annual Report covering the activities of the Authority for the preceding year. The Authority shall make available to each party State on its request any information within its possession any time and always provide access to its records to the party States and their authorized representatives.
- 12. Records of the Authority and their location.—(1) The Authority shall keep a record of its meetings and proceedings, maintain regular accounts, and have a suitable office where documents, records, accounts and gauging data shall be kept open for inspection by the Central Government and Government of each of the party States and Union territory or their representatives at such time and under such regulations as the Authority may determine.
  - (2) The Head Quarters of the Authority shall be at New Delhi.
- 13. Contracts and agreements.—The Authority shall enter into such contracts and agreements as may be necessary and essential for the full and proper performance of the functions and duties conferred or imposed on it.
- **14. Financial provision.**—(i) The Central Government shall initially contribute a sum of two crore rupees for the functioning of the Authority.
- (ii) All the capital and revenue expenditure required to be incurred by the Authority shall be borne by the State Governments of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Union territory of Puducherry in the ratio of 15:40:40:5 respectively.
- (iii) On the constitution of the Authority, the State Governments of Kerala, Karnataka, Tamil Nadu and Union territory of Puducherry shall contribute two crore rupees in the ratio indicated in (ii) above towards the fund of the Authority in the first instance, and later on make advance payments on a quarterly basis as demanded by the Authority keeping in view the annual budget of the Authority.
- (iv) The Authority shall maintain detailed and accurate accounts of all receipts and disbursements and shall after the closing of each financial year, prepare an annual Statement of Accounts and send copies thereof to the Accountant General and concerned basin States.
- (v) The accounts maintained by the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India or his nominee, who shall certify, subject to such observation as he may wish to make on the annual accounts of the Authority. The Authority shall forward the copies of the Report of the Comptroller and Auditor General of India to the Accountant General, the Central Government and the concerned basin States and shall include the same in its annual report.
- (vi) To perform any other function which is supplemental, incidental or consequential to all or any of the functions specified in sub-paragraphs (i) to (v) above.
- **15. Decisions of the Authority.**—The decisions of the Authority on all matters for the purposes of implementing the Award of the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated the 16<sup>th</sup> February, 2018 including but not limited to the matters covered under paragraph 10, shall be final and binding on all the party States.
- **16.** Constructions outside jurisdiction of the Authority.—Save and except to the extent otherwise provided in the Award of the Tribunal as modified by the Order of the Hon'ble Supreme Court, the planning,

construction and maintenance of the projects will be carried out by each State or Union territory administration through its own agencies.

#### II. Cauvery Water Regulation Committee

- **17. Composition of the Cauvery Water Regulation Committee.**—(1) There shall be a Cauvery Water Regulation Committee consisting of the following members, namely:-
  - 1) Whole-Time Member (Water Resources) of the Chairman; Authority
  - 2) One representative each of the States of Kerala, Member; Karnataka, Tamil Nadu and Union territory of Puducherry not below the rank of Chief Engineer.
  - 3) One representative of India Meteorological Member; Department, of the rank of Joint Secretary
  - 4) One representative of Central Water Commission Member; dealing with river gauging not below the rank of Chief Engineer
  - 5) One representative of the Ministry of Member; Agriculture & Farmers' Welfare, Government of India not below the rank of Commissioner
  - 6) Secretary to the Authority Member Secretary.
- (2) The Head Quarters of the Cauvery Water Regulation Committee shall be at Bengaluru.
- **18. Functions of the Cauvery Water Regulation Committee.**—The Committee shall ensure the implementation of the provisions contained in the final Award of the Tribunal as modified by the Hon'ble Supreme Court vide Order dated the 16<sup>th</sup> February, 2018 with the directions to the Authority, namely:—
  - (a) to collect daily water levels, inflows and storage position at each of the following reservoirs Hemavathy, Harangi, Krishnarajasagara, Kabini, Mettur, Bhavanisagar, Amaravathy and Banasurasagar;
  - (b) to ensure ten daily releases of water on monthly basis from the reservoirs as directed by the Authority;
  - (c) to collect data of water released from the aforesaid reservoirs on twelve hourly basis;
  - (d) the Authority's representatives at each of the reservoirs shall monitor proper implementation of the regulation instruction issued by the Committee and in the event of any variation, the representative shall immediately inform the Member Secretary of the Committee for appropriate action;
  - (e) to collect daily water flows passing through presently identified inter- State contact point Billigundulu gauge and discharge site and keep the Authority suitably informed;
  - (f) to compile and reconcile monthly water account for each reservoir;
  - (g) to collect and compile weekly information about important rain gauge stations of the India Meteorological Department in order to be able to broadly assess the position of monsoon and keep the Authority informed about the status of the monsoon;
  - (h) the State representative, in-charge of the major projects will keep the Committee regularly informed about the occurrence of the rainfall in the commands and whether any change in the releases is required;

- (i) to prepare seasonal and annual report of the water account and submit the same to the Authority as indicated below:—
- (a) South-West monsoon season 1<sup>st</sup> June to 15<sup>th</sup> October; (inclusive of fortnight of October)
- (b) North-East monsoon season 16<sup>th</sup> October to 31<sup>st</sup> January;
- (c) Hot weather season 1<sup>st</sup> February to 31<sup>st</sup> May.
- 19. Meetings of the Committee.—(1) The Committee shall meet once in ten days during the months of June and October when the south-west and north-east monsoon set in and after the monsoon has set in, the meeting will be held at least once a fortnight but the Committee shall have the powers to convene meetings as often as necessary. In case of any exigency, a minimum of forty-eight hours notice shall be given for holding a meeting.
  - (2) In case, the State which is likely to be affected is not represented in the meeting, then the possibility of calling another meeting will be considered by the Committee:
    - Provided that if the situation is such that it warrants to take immediate decision, then the Committee may decide the issue by majority vote even in the absence of representative from the affected State.
  - (3) The quorum for meeting of the Committee shall be at least six.
  - (4) All the Members including the Chairman and Member Secretary of the Committee shall have voting right and the Chairman shall also have a casting vote.

[F. No. R-19011/01/2018/Pen. River] SANJAY KUNDU, Jt. Secy. (RD&PP)